

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण संख्या:- 22/18

दायर दिनांक:- 28.02.18

जीसीएमएस नं. 2018/00079

उनवान

वेदरिया पुत्र सुक्का जाति जाटव निवासी कांचरौली तहसील हिण्डौन सिटी जिला
करौली राजस्थान

—वादी

बनाम

गोविन्द सिंह पुत्र कन्हैया जाति जाटव निवासी कांचरौली तहसील हिण्डौन जिला
करौली

—प्रतिवादीगण—09

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक:-

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में वादीगण एव वादीगण वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार-बार वादीगण एव वादीगण वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद वादीगण एव वादीगण वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 11.05.2022 से कायम मुकाम में विचाराधीन चल रहा है। जिससे जाहिर होता है कि वादीगण एव वादीगण वकील प्रकरण को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मुकदमा न0 22/18 वेदरिया बनाम गोविन्द अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(हेमराज गुर्जर)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली